



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- शिवसिंहपुरा
पटवार हल्का :- कुडली
भू.अभि.नि. :- कुडली
तहसील :- सीकर
जिला :- सीकर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2075-2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 171
खाता संख्या पुराना :- 163

काश्तकार का नाम:-

1. ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
326/137	5.1100	गै.मु.	5.1100			
330/287	0.1100	गै.मु.	0.1100			
331/288	0.9500	गै.मु.	0.9500			
332/288	0.5000	गै.मु.	0.5000			
333/288	0.3500	गै.मु.	0.3500			
कुल खसरे - 5	7.0200		7.0200			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 10-Apr-2026



प्रमाणित प्रतिलिपि
P-35 क्रमांक...526...दिनांक...10.04.2026
पटवारी कुडली



कार्यालय, तहसीलदार (भू.अ.) सीकर

क्रमांक:-भू.अ./2026/1535

दिनांक:- 10.04.2016

भूमि-भवन संबंधी प्रमाण पत्र

रिपोर्ट पटवारी हल्का कुड़ली के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-शिवसिंहपुरा तहसील सीकर की निम्नलिखित भूमि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, शिवसिंहपुरा सीकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिला कलक्टर सीकर द्वारा भूमि आवंटन के समय व रिकार्ड कम्प्यूटरीकरण बाद वर्तमान खसरान की विगत निम्नानुसार है:-

पुराना खसरा संख्या (आवंटन के समय)			वर्तमान नया खसरा संख्या			
खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि वर्गीकरण	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भूमि का वर्गीकरण	संस्थान द्वारा भूमि उपयोग की स्थिति
137/2	5.1100	गै.मु.	326/137	5.1100	गै.मु.	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/287/2	0.1100	गै.मु.	330/287	0.1100	गै.मु.	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/288/1	0.9500	गै.मु.	331/288	0.9500	गै.मु.	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/2	0.5000	गै.मु.	332/288	0.5000	गै.मु.	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/3	0.3500	गै.मु.	333/288	0.3500	गै.मु.	स्कूल व अकादमी
कुल खसरे - 5	कुल क्षेत्र - 7.0200		कुल खसरे - 5	कुल क्षेत्र - 7.0200		

उक्त भूमि जिला कलक्टर सीकर द्वारा संस्थान को शैक्षिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन उपरान्त भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई, जिस पर उपरोक्तानुसार छात्रावास एवं शैक्षणिक गतिविधियों पश्चात संचालित है।

अतः यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 10/4/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।



C-5
 M/S
 10/4/2016
 तहसीलदार (भू.अ.) सीकर

कार्यालय, तहसीलदार (भू.अ.) सीकर

क्रमांक:-भू.अ./2026/1586

दिनांक:- 13.4.26

भूमि-उपयोग संपरिवर्तन प्रमाण पत्र

रिपोर्ट पटवारी हल्का कुड़ली के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-शिवसिंहपुरा तहसील सीकर की भूमि पुराना खसरा नम्बर 137/288/2 रकबा 0.5000 हैक्टर के स्थान पर नया खसरा नम्बर- 332/288 रकबा 0.5000 हैक्टर की खातेदारी ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर शैक्षिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन उपरान्त ग्रामीण महिला महाविद्यालय का भवन बना हुआ है।

अतः यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 13.4.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।



M/S
तहसीलदार (भू.अ.), सीकर

कार्यालय, तहसीलदार (भू.अ.) सीकर

क्रमांक:-भू.अ./2026/612

दिनांक:- 3.2.2026

भूमि-उपयोग संपरिवर्तन प्रमाण पत्र

रिपोर्ट पटवारी हल्का कुड़ली के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-शिवसिंहपुरा तहसील सीकर की भूमि पुराना खसरा नम्बर 137/288/1 रकबा 0.9500 हैक्टर के स्थान पर नया खसरा नम्बर 331/288 रकबा 0.9500 हैक्टर की खातेदारी ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर शैक्षिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन उपरान्त ग्रामीण महिला महाविद्यालय का भवन बना हुआ है।

अतः यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 3.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।



M.S.
तहसीलदार (भू.अ.), सीकर

(2)

- (3) भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जानेगा जिसके लिये कला आवंटन हुआ है, और आवंटन के 1 वर्ष के भीतर इसे अपने कार्यालय कार्य प्रारम्भ कर दिया जानेगा जिसके लिये भूमि का आवंटन हुआ है।
- (4) भूमि का कार्यालय में निर्मित होनी।
- (5) ऐसी भूमि पर निर्मित काल काला प्रारम्भ को नहीं किया जा सकता जब तक कि कार्यालयिक काम के लिये होना और सुरक्षा के लिये आवश्यकता, आवंटित या श्रमिकों के परिवार के लिये काला या कालों को नहीं किया जानेगा।
- (6) प्रत्येक शर्त के लिये आवंटितों लिखित स्वरूप में नाम होना।
- (7) उपरोक्त शर्तों में के लिये का उत्तर देने को कहा है भूमि, उस पर लगे हुए निर्माण कार्य लिये, बिना किसी परामर्श के या बिना परामर्श के निर्मित हो जानेको।

सचिव, सीएच

भूमि-क्या (135) विभाग/राज्य 135/353-59 वि० 12/6/2011 (28)
प्रतिष्ठित कर्मियों एवं पालनार्थ के लिये :-

- 1) उपसहायक अधिकारी, सीएच
- 2) सहायक अधिकारी, सीएच को उनकी सुविधाओं के लिए कर के लिये भूमि को शर्त 135 के अन्तर्गत में उपरोक्त लिखित भूमि का प्रारम्भ किया है।
- 3) विभाग अधिकारी पंजाब लिखित अधिक प्रमुख, सीएच
- 4) कर्मियों, ग्रामपंचायत कर्मियों
- 5) कर्मियों, ग्रामीण महिला विभाग लिखित लिखित, सीएच
- 6) सी०आर०१० कोर्ट, सीएच
- 7) सहायक अधिकारी।

सहायक
11-8

Saku
सचिव, सीएच

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर झुंझर

कुमांक: एफ. 6/92/वि. अ. /राजस्व/90/ दिनांक:-

::आदेश::

उपस्थान सचिव, राजस्व ग्रुप-3 विभाग, जयपुर ने पत्र कुमांक: प. 2/2/1/राज/3/86/ दिनांक 7-5-94 द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा के तहसील सीकर स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 137/288 रकबा 1.80 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि को चारागाह से खारिज की है को ग्रामीण महिला शिक्षा संस्थान समिति, सीकर को राजस्थान म-राजस्व स्कूल, कालेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिकृत राजकीय कृषि भूमि का आवंटन नियम 1963 में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत स्कूल/कालेज निर्माणार्थ आवंटन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्तों:-

====

- 1] आवंटन नि:शुल्क होगा ।
- 2] आवंटन 30 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा। 30 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, सरकार स्थिति का पुनरावलोकन कर सकेगी और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये हो रहा है जिसके लिए उसका आवंटन किया गया था तथा उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है, तो अवधि आगे 30 वर्ष के लिये नवीनीकरण की जा सकेगी। पट्टे की लिखित प्रुपत्र में होगी ।
- 3] जब भूमि पर कोई भवन बनाया जा रहा हो और उससे भूमि कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित हो गई हो, तो कोई भी प्रोत्सय या शहरी निर्धारित कर वसूल नहीं किया जायेगा ।
- 4] भूमि का उपयोग कठोरता से उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा जिसके लिए इनका आवंटन हुआ है और आवंटन के एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा जिसके लिए भूमि का आवंटन हुआ है ।
परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल या कालेज बनाने के लिए आवंटित हुई हो उसका उपयोग उक्त स्कूल या कालेज से सम्बन्धित कृषि प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा ।
- 5] भूमि सरकार में निहित होगी ।
परन्तु शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाने के लिए किसी ग्राम पंचायत की आवंटित की गई हो, तो वह पंचायत में निहित होगी ।
- 6] ऐसी भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और बदनियत से उसका स्थानान्तरण आवंटित दान ग्राही के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को नहीं किया जायगा ।

... 2यपयय...

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर

=====

क्रमांक:

/राजस्व/99

दिनांक:-

दिसम्बर, 99

:: आदेश ::

शासन उप सचिव, राजस्व/ग्रुप-3 विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र संख्या व02/211/राज-ग्रुप-3/86 दिनांक 4-10-99 द्वारा ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील सीकर स्थित भूमि खतरा नम्बर 137/288/1 रकबा 0.95 हेक्टर किस्म चारागाह में से 0.95 हेक्टर भूमि चारागाह से खारिज कर राजस्व-राजस्व अधिनियम/स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिकृत राजकीय कृषि भूमि का आवंटन/नियम, 1963 एवं इसमें संशोधन अधिनियम दिनांक 14-2-95 के नियम 3/2 के अन्तर्गत ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर को निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः उक्त स्वीकृति की अनुपालना में ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील सीकर की भूमि खतरा नम्बर 137/288/1 रकबा 0.95 हेक्टर किस्म चारागाह में से 0.95 हेक्टर भूमि निम्न शर्तों पर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, सीकर को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति स्तम्बद्वारा प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाता है कि आवंटित की गई भूमि का कब्जा सम्बन्धित संस्था को देकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरायद कर वाकना रिपोर्ट एक माह की अवधि में इस कार्यालय में भिजवावे।

शर्तें :

- 1। आवंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा।
- 2। आवंटनी से लीज डीड पुस्तक में निरूपायित कराया जायेगा।
- 3। भूमि जिस कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी कार्य के उपयोग में ली जायेगी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के 6 महीने के अन्दर-2 भवन निर्माण शुरू किया जाकर कब्जा प्राप्त करने के 2वर्ष के अन्दर-2 पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 4। भूमि राज्य सरकार की ही रहेगी।
- 5। आवंटित भूमि का उपयोग महिला शिक्षण संस्थान के लिए होगा। आवंटित अधिकारी की अनुमति बिना आवंटित भूमि व उस पर बनी इमारत का बेचान हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा व किराया पर आवंटन अधिकारी की अनुमति के बिना आवंटनी नहीं दे सकेगा। यदि आवंटन अधिकारी हस्तान्तरण की स्वीकृति देता है तो हस्तान्तरिती से नियम 3 के नियम 11 के अनुसार अलग से प्री नियम कूल होगा।

समाप्त-2

- १६१ प्रत्येक शर्त के लिए आवंटनी बाध्य होगा। इसका इकरार लिखित में देना।
 १७१ उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित धारापत्त बिना मुआवजे के सरकार को चली जायेगी।

जिला कलेक्टर, सीकर

दिनांक: 18/2/2000
 दिनांक: 18/2/99

क्रमांक: 4988-96


/राजस्व/99

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं पालनार्थ /आवश्यक कर्मवाही करने हेतु प्रेषित है :-



- 1- शासन उप सचिव, राजस्व ग्युप-3 विभाग, राजजयपुर को उनके पत्र क्रमांक प02१११११ राज/ग्युप-3/86 दिनांक 4-10-99 के क्रम में।
- 2- माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
- 3- उप खण्ड अधिकारी, सीकर।
- 4- तहसीलदार, सीकर को भेजकर लेख है कि छावंटित ग्राम का कब्जा संबंधी को देकर पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाये।
- 5- धिकात अधिकारी, पंचायत समिति, धोडगुवाणिया विपराली जिला सीकर।
- 6- अध्यक्ष, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति, विधासिंहपुरा तहसील सीकर।
- 7- सरपंच, ग्राम पंचायत, कुडली पंचायत समिति, विपराली।
- 8- जिला राजस्व लेखाकार, कलेसीकर।
- 9- रक्षी पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी,
 राजस्व शाखा, जयपुर, सीकर

GRAMIN MAHILA SHIKSHAN SANSTHAN SAMITI, SHIVSINGHPURA, SIKAR



KEY PLAN





SHIVAM DGPS SURVEY,
PIPRALI ROAD SIKAR
Mo. 9414863480, 7414863480

GRAMIN MAHILA SHIKSHAN SANSTHAN SAMITI, SHIVSINGHPURA, SIKAR

CAMPUS-

1. GIRLS HOSTEL
2. Sr.Sec. School
3. GGA





राजस्थान RAJASTHAN

CC 533371

शपथ-पत्र

मैं झाबरमल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट निवासी सर्किट हाऊस, खीचड़ों का बास, सीकर का रहने वाला हूँ और हल्फ से बयान करता हूँ कि-

1. यह है कि मैं वर्तमान में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर में अध्यक्ष के पद पर पद स्थापित हूँ।
2. यह है कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर द्वारा ग्रामीण महिला महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है।
3. यह है कि राजस्व ग्राम शिविसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर में स्थित निम्नांकित भूमि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति सीकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है-

पुराना खसरा संख्या (Old Khasra No.)	क्षेत्रफल (हेक्टर) (Area in Hectare)	भूमि वर्गीकरण (Land Class)	नया खसरा संख्या (New Khasra No.)	क्षेत्रफल (हेक्टर) (Area in Hectare)	संस्थान द्वारा भूमि उपयोग (Land Use by Institution)
137/2	5.1100	गै.मु.	326/137	5.1100	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/287/2	0.1100	गै.मु.	330/287	0.1100	छात्रावास, स्कूल व अकादमी संचालित
137/288/1	0.9500	गै.मु.	331/288	0.9500	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/2	0.5000	गै.मु.	332/288	0.5000	ग्रामीण महिला महाविद्यालय
137/288/	0.3500	गै.मु.	333/288	0.3500	स्कूल व अकादमी
कुल खसरे- 5	कुल क्षेत्र- 7.0200		कुल खसरे- 5	कुल क्षेत्र- 7.0200	

मंजूर है

अध्यक्ष

ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति
सीकर (राज.)

ATTESTED

13/09/2024

NOTARY PUBLIC
SIKAR (RAJASTHAN)

0192
09/04/2018

श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा



(श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

शर्मा

श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
मा. नं. 011/0505/29 स्थापन सं. 18/2011
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
श्री प्रकाश पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

पत्र पुराने व वर्तमान खसरा को इंगित करते हुये संस्थान के भू उपयोग की स्थिति बाबत वस्तुस्थिति का प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है।

mp/1/1

शपथग्रहिता

शपथग्रहिता

मैं झाबरमल पुत्र श्री सूरजमल जाति जाट निवासी सर्किट हाऊस, खीचड़ों, सीकर जिला, राजस्थान में शपथ कथन करता हूँ कि शपथ पत्र की बिन्दू संख्या 1 लगायत 10 मेरी जानकारी के अनुसार सत्य व सही है तथा मैंने शपथ पत्र में कोई तथ्य नहीं छिपया है।

mp/1/1

शपथग्रहिता

अध्यक्ष

शपथग्रहिता
शपथग्रहिता
सीकर (राज.)

IDENTIFIED BY ME

